178

5184
19-12-14

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14457/2134

दिनांकः–18.12.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार ,पटना

Spl. Sec.
O. S. D. (K)
सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
19 DEC 2014
बिहार, पटना

OSD(K)

महाशय,

नगर परिषद् सुपौल के वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 748/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
22 DEC 2014
संख्या 9774
बिहार, पटना

भवदीय,

17/12/14

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

23/12/14

नगर परिषद, सुपौल
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 748/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2008–09 से 12–13

1. प्रस्तावना

सुपौल, नगर परिषद के वर्ष 2008–09 से 12–13 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 06.05.13 से 18.05.13 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क0सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	अवधि
1	सुधांशु शेखर	01.04.2008 से 16.04.2010
2	जनार्धन प्रसाद अग्रवाल	17.04.2010 से 04.11.2011
3	वृजेश कुमार	04.11.2011 से 31.03.2013
	मुख्य पार्षद का नाम	
1	सुनीता देवी	01.04.2008 से 09.06.2012
2	अर्चना कुमारी	09.06.2012 से 31.03.2013
	उप मुख्य पार्षद का नाम	
1	धीरेन्द्र कुमार रावत	01.04.2008 से 09.06.2012
2	रामेन्द्र कुमार रमन	09.06.2012 से 31.03.2013

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में जॉच किये गये अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I में तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों सूची परिशिष्ट– II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा के दौरान बार– बार अनुरोध करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से एक भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन, लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

5. प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियॉ

क्र.सं.	कंडिका सं.	विवरण
1	9	कम जमा/नहीं जमा– 15.38 लाख
2	10	राशि का अवरोधन– 1.23 करोड़
3	13	कम वसूली– 3.10 लाख
4	15	दूकानों से कम वसूली– 0.46 लाख
5	17	अधिक भुगतान– 1.43 लाख
6	18	निविदा में अनियमितता– 2.20 लाख
7	19	क्रय में अनियमितता– 25.77 लाख

8	२०	वार्ड पार्षदों को अनियमित भुगतान– 10.14 लाख
9	२5	ग्रेच्युटी भुगतान– 22.91 लाख
10	२6	असमायोजित अग्रिम– 19.19 लाख

6. वित्त

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही में सभी मदों यथा पि0क्षे0अ0नि0, बारहवीं वित्त, तेरहवीं वित्त, चतुर्थ वित्त, नगरपालिका मद आदि की राशि सम्मिलित रूप से रखी गयी थी। जिसके आय–व्यय का विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	7583024.26	69271227.06	88194863.06	74538423.06	140321336.96
2	प्राप्ति					
(i)	अनुदान	73371281.80	35487686.00	15321061.00	88119735.90	41121274.00
(ii)	स्वयं के स्रोत से आय	2658555.00	5396179.00	3227292.00	4945774.00	3504492.00
(iii)	अन्य	0	0	0	0	0
3	जोड़ वर्ष की प्राप्ति	76029836.80	40883865.00	18548353.00	93065509.90	44625766.00
4	कुल प्राप्ति	83612861.06	110155092.06	106743216.06	167603932.96	187947102.96
5	व्यय					
(i)	योजना	6869408.00	17229916.00	27385686.00	23327623.00	19280214.00
(ii)	स्थापना व वेतन	7472226.00	4730313.00	4819107.00	3954973.00	8489071.00
6	कुल व्यय	14341634.00	21960229.00	32204793.00	2782596.00	27769285.00
7	अन्तशेष	69271227.06	88194863.06	74538423.06	140321336.96	157177817.96

रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 157208282.96 था, अतः इसे सुधार लिया जाय। कोषागार पासबुक का अंतशेष 157244934.96 था, 67117 (157244934.96 – 157177817.96) के अंतर का कारण स्पष्ट कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. अनुदान

सुपौल नगर परिषद के अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि नगर परिषद में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया, हालांकि लेखापाल रोकड़ बही के जॉच के क्रम में यह पता चला कि अंकेक्षण वर्ष 2008–09 एवं 12–13 की अवधि में 253421037.00 सरकारी अनुदान के रूप में कार्यालय को प्राप्त हुई। विवरणी इस प्रकार है–

175

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2008–09	73371281.00
2	2009–10	35487686.00
3	2010–11	15321061.00
4	2011–12	88119735.00
5	2012–13	41121274.00
		253421037.00

(विवरणी परिशिष्ट–III पर)

उपर वर्णित सरकारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाए।

8. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं

शहरी स्थानीय निकायों को सम्पति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50% की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नगर निकाय द्वारा वर्ष 2008–09 से 12–13 के दौरान 1884143.00 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूली गयी। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किये गये राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था, परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्नलिखित है–

वर्ष	**शिक्षा उपकर की राशि**	**स्वास्थ्य उपकर की राशि**
कुल राजस्व	1034704.22	1058788.06
घटाव वसूली प्रभार	103470.37	105879.00
सरकारी खाते में नहीं जमा राशि	931234.00	952909.00

नगर परिषद द्वारा 1884143.00 (931234 + 952909) को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्ययों पर किया गया। अतः उपरोक्त राशि 1884143.00 यथाशीघ्र संबंधित विभाग को प्रेषित कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

9. कम जमा/नहीं जमा

विविध एवं 'एच' रसीदों के माध्यम से वसूली गयी राशि का जमा दैनिक रोकड़ पंजी/रोकड़पाल/लेखापाल रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा 1475819.00 (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर) जमा नहीं किया गया था। जिसकी वसूली कर राशि को नगर परिषद निधि में जमा कर, जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

9(क) लेखापाल रोकड़ बही का ट्रेजरी पासबुक से मिलान के क्रम में पाया गया कि राशि 12500 बैंक ड्राफ्ट द्वारा मकान नक्शा विभिन्न (MAP) की राशि के रूप में विभिन्न तिथियों में सुपौल नगर परिषद द्वारा प्राप्त किए गए। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	तिथि	लेखापाल रोकड़ बही की पृष्ठ सं.	राशि	विवरणी
1	23.08.12	पृष्ठ–27	4000.00	मकान नक्शा की राशि (MAP charge)
2	23.08.12		5000.00	
3	23.08.12	पृष्ठ–28	2000.00	
4	23.08.12		1500.00	
			12500.00	

सभी राशियों लेखापाल रोकड़ बही में विभिन्न पृष्ठों में दर्ज पायी गयी, परन्तु ट्रेजरी पासबुक में इसकी प्रविष्टि नहीं पायी गयी। अतः राशि 12500 ट्रेजरी में जमा नहीं पाया गया।

अतः राशि 12500 संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर ट्रेजरी में जमा कर अगले अंकेक्षण को वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय।

10. राशि का अवरोधन (1.23 करोड़)

लेखापाल रोकड़ बही एवं अन्य सबसिडियरी रोकड़ बही की जॉच के क्रम में यह पता चला कि बी.आर.जी.एफ. मद में 2008–09 से 12–13 की अवधि में जितनी राशियॉ प्राप्त की गयी, उनमें से सभी प्राप्त राशियॉ खर्च नहीं की गयी, 31.03.13 की तिथि में राशि 12203655.00 शेष बची पायी गयी। विवरणी इस प्रकार है–

विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	0	3483515.00	8037646.00	8848216.00	99118800.00
प्राप्तियॉ	4354613.00	7154844.00	3468000.00	2622000.00	3052647.00
कुल	4354613.00	10638359.00	11505646.00	11470216.00	12964447.00
खर्च	871098.00	2600713.00	2657430.00	1558416.00	760792.00
अवशेष	3483515.00	8037646.00	8848216.00	9911800.00	12203655.00
खर्च का प्रतिशत	20%	24%	23%	14%	5%

राशि के अवरोधन से एक ओर तो आम नागरिकों के जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी उद्देश्य भी विफल हो जाता है।

अतः शेष बची राशि के जल्द से जल्द खर्च करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाए।

11. दक्षिण हथखोला शौचालय की बन्दोबस्ती

दक्षिण हथखोला शौचालय की बन्दोबस्ती से संबंधित संचिका (2011–12) के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल नगर परिषद प्रथम पक्ष एवं सुदर्शन सोशल सर्विसेस आर्गनाइजेशन, गंगानगर, अम्बेर पट, हैदराबाद, शाखा कार्यालय लाल भवन वार्ड सं.– 24 खारा ब्लाक कॉलानी, सहरसा– द्वितीय पक्ष के बीच 31.03.10 की तिथी में 33 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट के आधार पर एक बन्दोबस्ती हुआ। बन्दोबस्ती की राशि 10000 निर्धारित की गयी, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोतरी 33 साल तक की जायेगी।

अगर इस अवधि में किसी भी प्रकार का मतभेद (dispute) उत्पन्न होता है, तो वह मतभेद निहित शर्त्त के कम सं.– 12 के अनुसार arbitration के माध्यम से ही सुलझाया जायेगा एवं विभाग के प्रधान सचिव या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति ही मुख्य अरविट्रैटर (sole arbitrator) होंगे।

अंकेक्षण आपत्ति–

1 कार्यपालक पदाधिकारी, सुपौल नगर परिषद एवं हैदराबाद की संस्था के बीच हटखोला शौचालय की बन्दोबस्ती (on the basis of lease agreement for 33 years) करने का प्रस्ताव उपर बताए गए शर्त्तों के आधार पर नगर परिषद की आम बैठक में पारित किया गया या नहीं, इस संबंध में न तो कोई सुचना संबंधित संचिका में अंकित (mentioned) पायी गयी और न ही अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया गया।

2 एकरारनामा के कम सं.– 12 के अनुसार विभाग के प्रधान सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति सोल आरबिट्रेटर (sole arbitrator) का कार्य करेंगे, अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो अंकेक्षण दल को यह बताया गया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को इस एकरारनामा/बन्दोबस्ती एवं इसके शर्त्तों की सूचना एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने से पहले या बाद में दी गयी है और न ही संचिका में इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध पायी गयी।

3 33 साल की अवधि का निर्धारण on the basis of lease agreement किस आधार पर किया गया, इसका जवाब न तो संचिका में उपलब्ध था और न ही अंकेक्षण समाप्ति तक दल को उपलब्ध कराया गया।

4 इसी शौचालय की बन्दोबस्ती 2009–10 में 15700 पर की गयी थी, जबकि 2010–11 में 10000 पर की गयी। बन्दोबस्ती की राशि की कमी का कारण दल को नहीं बताया गया।

5 हैदराबाद की संस्था को इस समाचार की सूचना कैसे मिली, कि सुपौल नगर परिषद हथखोला शौचालय की बन्दोबस्ती करना चाहता है, जबकि इस संबंध में कोई भी निविदा दैनिक समाचार पत्र में नहीं निकाली गयी।

अगर दैनिक समाचार पत्र में निविदा निकाली जाती तो सम्भावना थी कि better competition होता और सुपौल नगर परिषद को इससे भी अच्छा option मौका मिल सकता था। दैनिक समाचार पत्र में निविदा क्यों नहीं निकाली गयी, इसका जवाब भी अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया।

उपर दिए गए परिस्थितियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हैदराबाद की संस्था को हथखोला शौचालय की बन्दोबस्ती देने में बन्दोबस्ती की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है।

12. गुदरी बाजार एवं टेम्पु स्टैण्ड की बन्दोबस्ती वर्ष 2009–10

वर्ष 2009–10 के गुदरी बाजार एवं टेम्पु स्टैण्ड की बन्दोबस्ती की संचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि मार्च 2009 में इन दोनों सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी, परन्तु संचिकानुसार निर्वाचन/चुनाव के कारण बन्दोबस्ती रद्द कर दी गयी एवं विभागीय वसूली का आदेश निर्गत किया

172

गया। परन्तु विभागीय वसूली किसके द्वारा की जायेगी, संचिका में इसकी सूचना अनुपलब्ध पायी गयी। इसके साथ– साथ कितनी राशि वसूल की गयी, अगर वसूली गयी तो राशि कहाँ जमा की टोकन रसीद की छपाई की गयी, इसका स्टाक पंजी, निर्गत पंजी गयी, जमा की क्या स्थिति है इत्यादि के संबंध में भी सूचना/जानकारी संचिका में अनुपलब्ध पायी गयी।

अंकेक्षण में उठायी गयी आपत्तियों के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब/जानकारी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी। स्पष्ट सूचना/जानकारी के अभाव में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उच्च स्तरीय जॉच की आवश्यकता है।

13(1) सैरातों की बन्दोबस्ती

बिहार सरकार के पत्रांक सं.– 1920/नि./मु.स. दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549/15.03.05 के सभी बन्दोबस्ती पर बन्दोबस्ती की राशि का @5% प्रतिशत निबंधन शुल्क जमा करना है। परन्तु 2008–09 से 12–13 के बीच किए गए विभिन्न सैरातों की बन्दोबस्ती से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि बन्दोबस्तधारियों द्वारा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क 5 कुल बन्दोबस्त राशि का बन्दोबस्ती करने के समय जमा नहीं किया गया, फलस्वरूप राशि 258151 का नुकसान हुआ, जो संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	विभिन्न बन्दोबस्ती की कुल राशि	निबंधन की राशि @5%
1	2008–09	1010875.00	50599.00
2	2009–10	1122452.00	56123.00
3	2010–11	1235380.00	61769.00
4	2011–12	1794300.00	89715.00
5	2012–13	——वसूला गया	——
		कुल	258151.00

बन्दोबस्तधारियों को बन्दोबस्ती का आदेश निर्गत करते समय इस बात का क्यों ध्यान नहीं रखा गया, इसका जवाब नहीं दिया गया।

अतः राशि 258151.00 संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर सरकारी खाते में जल्द से जल्द जमा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए।

(2) विभिन्न सैरातों की संचिकाओं (2008–09 से 12–13) के अवलोकन से यह पता चला कि निम्नलिखित 05(पांच) सैरातों में बन्दोबस्तधारियों से राशि 49930.00 कम वसूला गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	सैरातों का नाम	वर्ष	राशि
.1	बांस व्यापारी शुल्क	2008–09	10100.00
2	अड़गरा	2008–09	1450.00
3	हटखोला	2009–10	10500.00
4	टीन टोकन	2010–11	21680.00
5	पार्क स्थित शौचालय	2012–13	6200.00
			49930.00

कम वसूल गयी राशि 49930.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से जल्द से जल्द करके सरकारी खाते में जमा की जाय।

14. अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया राशि– 137800.00

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरण के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि 137800.00 (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर) थी। अनुज्ञप्तिं शुल्क से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। 137800.00 की वसूली संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय। साथ ही नगर परिषद द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली में बढोतरी हेतु प्रयास किये जाए।

15. 46272.00 दुकान किराया वृद्धि नहीं होने से हानि

नगर परिषद, सुपौल द्वारा दुकानों के आवंटन से संबंधित उपलब्ध करायी गयो अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि नगर परिषद तथा संबंधित दुकान प्राप्तकर्त्ता के बीच जो एकरारनामा हुआ थे उसके अनुसार प्रत्येक दो वर्ष पर 10 प्रतिशत किराया वृद्धि करना था, परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि तक किराया वृद्धि नहीं की गयी और पुराने दर पर ही किराया वसूल किया जाता रहा जिससे 46272.00 (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– पर) की हानि नगर परिषद को हुआ। यही स्थिति अन्य दुकानों के मामलों में भी था। अतः नगर परिषद द्वारा किराया बढोतरी के लिए आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाए जाने चाहिए तथा 46272.00 की वसूली संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

16. भंडार पंजी के संधारण में अनियमितताएँ

'एच' रसीद जमा पंजी तथा भंडार पंजी (stock register) के मिलान के दौरान निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयी–

(i) भंडार पंजी को सही तरीके से सुर्चीबद्ध नहीं किया गया था, जिससे ये पता नहीं चला कि कौन सा पृष्ठ 'एच' रसीद पंजी का है तथा कौन विविध रसीद का।

(ii) 'एच' रसीद जमा पंजी को बिना भंडार पंजी में लिए ही उसे निर्गत किया गया था। निर्गत किया गया 'एच' रसीद पंजी कार्यालय द्वारा ही प्रिंटिंग किया गया था या नहीं यह स्पष्ट नहीं था।

(iii) 'एच' रसीद और 'एम' रसीद स्टॉक पंजी में प्रारंभिक शेष एवं निर्गत करने के बाद शेष बचे, अंतिम शेष का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया था, जिसके कारण पिछले वर्ष के कितनी रसीदों को अगले वर्ष के कितनी रसीदों को अगले वर्ष के स्टॉक में लिया गया एवं कितना शेष बचा था, इसका पता अंकेक्षण के दौरान नहीं निकाला जा सका।

(iv) Assessment register of holding tax अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः उपयुक्त त्रुटियों को दुर कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा Assessment register of holding tax को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

17. कार्य विलंब से होने से 142673.00 की क्षतिपूर्त्ति वसूली नहीं

बिहार लोक निर्माण विभाग के conditions of contract के पारा– 2 के अनुसार कार्यादेश निर्गत होने के बाद ससमय कार्य समाप्त करना है। ससमय कार्य समाप्त नहीं होने की स्थिति में प्राक्कलित राशि का ½% प्रतिदिन के हिसाब से संवेदक को क्षतिपूर्त्ति देना है। संवेदक से कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 10% क्षतिपूर्त्ति लिया जा सकता है। नगर परिषद के अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि योजनाओं (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VII पर) ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण विलंब हेतु संवेदक से क्षतिपूर्त्ति के रूप में 142673 वसूल किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः 142673 संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

18. निविदा में अनियमितता

नगर परिषद द्वारा कार्यालय ज्ञापांक 353 दिनांक 19 जुलाई, 2012 द्वारा नगर के सफाई हेतु निविदा निकाला गया। निविदा 31.07.12 को खोला गया तथा चारों ग्रुप में तीन का कार्य के.आर.बी. इंटरप्राइजेज, सुपौल को सौंपा गया। तीनों ग्रुप के संचिका के अवलोकन में पाया गया कि के.आर.बी. इंटरप्राइजेज, सुपौल को लेबर लाईसेंस 12.07.12 तक ही वैध था। फिर भी 31.07.12 के निविदा में उसे कार्य दे दिया गया। अन्य दो संवेदकों का कोई भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नं0 आदि संचिका में संलग्न नहीं था। नगर परिषद द्वारा जो प्राक्कलन तैयार किया गया था उसके अनुसार प्रत्येक संवेदक को 4 लीटर डीजल प्रतिदिन का प्रावधान था साथ ही संवेदक को 4 मजदूर प्रतिदिन कार्य पर लगाना था। संवेदक को कार्य विस्तार दिया गया।

ग्रुप सं.	संवेदक	भुगतान राशि	शेष राशि भुगतान
(i)	के.आर.बी. इंटरप्राइजेज	74551.00	122888.00
(ii)	–तदैव–	74680.00	123698.00
(iii)	–तदैव–	71126.00	122888.00
		220357.00	369474.00

नगर परिषद द्वारा जो प्राक्कलन बनाया गया था, उसमें कहीं भी कचरा फेंकने के स्थान का जिक्र नहीं था, फिर भी सभी स्थानों हेतु 4 लीटर डीजल के खपत का प्रावधान किया गया था। कनीय अभियंता द्वारा प्राक्कलन बनाने का आधार स्पष्ट नहीं था, क्योंकि उपलबध नहीं था। संचिका के जॉच में पाया गया कि कार्य उस संवेदक को प्रदान किया गया जिसके लेबर लाईसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। बाकी दो संवेदकों का कोई भी लाईसेंस संचिका में संलग्न नहीं था। चूंकि कार्य लेबर से कराया जाना था, अतः लेबर लाईसेंस की वैधता अनिवार्य थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा लाईसेंस नवीकरण नहीं होने के बावजूद भी के.आर.बी. इंटरप्राइजेज को कार्य सौंपा गया। कचरा फेंकनें का स्थान कहॉ है, वहॉ आबादी है या

नहीं, पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था या नहीं, इनसे संबंधित कोई भी जानकारी संचिका में उपलब्ध नहीं थी। उपर्युक्त अनियमितताओं के कारण 220357.00 का भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। अतः 220357.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

पुनः नगर परिषद द्वारा कार्यालय ज्ञापांक 353 दिनांक 19 जुलाई, 2012 द्वारा नगर के सफाई हेतु निविदा निकाला गया। निविदा 31.07.12 को खोला गया। चौथा ग्रुप का कार्य समर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, सुपौल को सौंपा गया। समर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन द्वारा मात्र पैन नं0 दिया गया, अन्य कोई भी कागजात (रजिस्ट्रेशन, लेबर लाईसेंस) संचिका में संलग्न नहीं था। समर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को 284330 का भुगतान दो माह के कार्य हेतु किया गया। दो माह के बाद यह कार्य के.आर.बी. इंटरप्राइजेज को दिया गया। जब कार्य लेबर से करवाना था तो लेबर लाईसेंस अति अनिवार्य था, जब लेबर लाईसेंस से संबंधित कागज निविदा में संलग्न नहीं था फिर भी समर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कार्य दिया गया। समर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कार्यावधि समाप्त होने पर के.आर.बी. इंटरप्राइजेज को कार्य, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिना मुख्य पार्षद के अनुमोदन तथा बिना निविदा के दिया गया। सफाई प्रभारी द्वारा संचिका में कहीं भी अनुमोदन नहीं था कि कार्य संतोषप्रद है या नहीं/ के.आर.बी. इंटरप्राइजेज को उसके लेबर लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद कार्य सौंपा गया था। कार्यावधि समाप्ति के बाद बिना निविदा के कार्य कराकर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 293488.00 के भुगतान का अनुमोदन अनियमित था। योजना में निविदा के मानकों का पालन नहीं किया गया था।

19. फागिंग मशीन एवं जे.सी.बी. का कय (25.77 लाख)

फागिंग मशीन एवं जे.सी.बी. के कय से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि दैनिक समाचार पत्र में तिथि 09.09.10 को निविदा निकालने के पश्चात अध्यक्ष, वार्ड 41 वर्षों एवं अन्य व्यक्तियों के समक्ष निविदा खोली गयी एवं 13.05.10 की आम सभा में आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया गया। (प्रस्ताव सं.– 08)

सामानों का कय किया गया एवं राशि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता को किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क.सं.	चेक सं.	तिथि	राशि	विवरणी
1	A-523854	01.07.10	1398800.00	जे.सी.बी.
2	A-523849	25.06.10	943691.00	फागिंग मशीन
			2342491.00	

परन्तु कुल भुगतान दोनों मशीनों के लिए राशि 2577313.00 (जे.सी.बी. 1490000, फागिंग – 1087313) किया गया।

परन्तु खरीदे गए सामानों का स्टॉक पंजी में संधारण अंकेक्षण दल को नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ जे.सी.बी. मशीन का लॉगबुक भी अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया।

68

स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर एवं जे.सी.बी. के लागबुक को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, तबतक व्यय की गयी कुल राशि 2577313.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

20. वार्ड पार्षदों को अनियमित भुगतान (10.14 लाख)

नगर विकास विभाग के द्वारा जारी पत्रों द्वारा नगर परिषद के परिपेक्ष्य में नियत मासिक भत्ता केवल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को दिए जाने का प्रावधान है। वार्ड पार्षदों को यात्रा भत्ता एवं मासिक बैठक भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।

परन्तु लेखापाल रोकड़ बही एवं संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि 31.01.2009 की तिथि में नगर परिषद की आम बैठक सुनीता देवी, चेयरमैन की अध्यक्षता की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया (प्रस्ताव सं.–02) कि सभी 26 वार्ड पार्षदों को 1500 प्रति महीने नियत मासिक भत्ता परिषद की निधि से दी जायेगी।

तत्पश्चात सभी वार्ड पार्षदों को विभिन्न चेकों के माध्यम से राशि 1014000 का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क.सं.	चेक सं.	तिथि	राशि	अवधि
1	A-524374	12.02.09	39000.00	जनवरी– 09
2	A-524389	04.03.09	39000.00	फरवरी– 09
3	A-524399	23.04.09	39000.00	मार्च– 09
4	A-524305	18.05.09	39000.00	अप्रैल– 09
5	A-523823	08.04.10	429000.00	मई– 09
6	A-523902 to 523920	22.09.10	195000.00	मार्च 10 अप्रैल 10 से अगस्त 10
7	A-524117	12.03.11	234000.00	सितम्बर 10 से फरवरी 11
		कुल	1014000.00	

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के आदेशानुसार नियत मासिक भत्ता अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को ही दी जायेगी, जबकि सुपौल नगर परिषद में वार्ड पार्षदों को दी गयी जो भुगतान की गयी राशि 1014000 पूर्णतः अनियमित है एवं संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

21. विलोपित

22. विधि व्यय– 0.29 लाख

नगर परिषद के रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि वकीलों तथा अन्य कोर्ट मुकदमों पर 28500 व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क.सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	जिसे दिया गया
1	105014/11.10.12	28500.00	वकील

28500 से संबंधित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इसे अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

२३ दुकान किराया की वसूली नहीं होना– 201295.00

नगर परिषद द्वारा स्वयं के स्रोतों/स्व वित्तपोषित योजनाओं द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था एवं उन्हें मासिक किराया पर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 201295.00 किराया 34(चौतीस) दुकानों/दुकानदारों से बकाया था, जिसकी वसूली नहीं हो पायी थी। अतः 201295.00 (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IX पर) की वसूली यथाशीघ्र कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

२५. सरकारी कार्यालयों से किराया वसूली नहीं– 2535145.00

नगर परिषद द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों से (विस्तत विवरण परिशिष्ट–X पर) किराया की वसूली किया जाना था, परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी कार्यालयों द्वारा किराया का भुगतान नहीं किया गया था। अतः 2535145 किराया वसूली हेतु उचित कदम उठाये जाने चाहिए। 2535145 की वसूली यथाशीघ्र कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

२६ ग्रेच्युटी का भुगतान (22.91 लाख)

लेखापाल रोकड़ बही की जॉच के दौरान पाया गया कि राशि 2290678.00 अंकेक्षण अवधि (2008–09 से 12–13) के दौरान विभिन्न अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क.सं.	चेक सं.	दिनांक	राशि
1	524230	10.05.08	1277724.00
2	524231	10.05.08	578628.00
3	524102	10.03.11	76306.00
4	524103	10.03.11	75449.00
5	524104	1.03.11	90569.00
6	524105	10.03.11	94349.00
7	524140	24.06.11	97653.00
		कुल	2290678.00

राशि 2290678.00 के भुगतान के विरूद्ध सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सेवा पुस्तिका, अभिश्रव के प्रस्तुत होने तक भुगतान की गयी राशि 2290678.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

२६. असमायोजित अग्रिम (19.19 लाख)

लेखापाल रोकड़ बही के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 12–13 की अवधि में विभिन्न व्यक्तियों की राशि 1919440.00 अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रूपये में)
1	2008–09	980440.00
2	2009–10	334000.00
3	2010–11	580000.00
4	2011–12	0
5	2012–13	25000.00
	कुल	1919440.00

(विवरणी परिशिष्ट– XI पर)

इन सभी दिए गए अग्रिम का समायोजन अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। असमायोजित अग्रिम का समायोजन कर वस्तुस्थिति को अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

२७. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा की समाप्ति पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप की गई।

२८. लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए–

1	वसूली के लिए सुझाई गई राशि	3137145.00
2	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	5116848.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XII पर)

२९. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे– मांग एवं वसूली पंजी, वार्षिक लेखा, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। पंचायत के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देख– रेख तथा परिषद कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
अमरेन्द्र कुमार
(स0ले0प0अधि0)
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (एस0एस0– I)
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

165

सं0— एल0ए0 / एस0एस0—1 / श0स्था0नि0 /14457/ 2134 **दिनांक** 18.12.14

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवदेन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नही करता है।

— ह0 —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0— एल0ए0 / एस0एस0—1 / श0स्था0नि0 /14457 **दिनांक**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः—

1. संचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल

(signature) 17.12.14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट – I

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं० - 3 से संदर्भित)

1. रोकड़पाल रोकड़ वही
2. पी० एल० रोकड़ वही
3. 'H' रसीद
4. 'M' रसीद
5. खैरात (आंशिक)
6. H & M भंडार पंजी
7. योजना अभिलेख (आंशिक)
8. कोषागार पासबुक
9. दैनिक वसूली पंजी
10. दुकाना किराया अभिलेख (आंशिक)

परिशिष्ट - II

अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची

(प्रतिवेदन की कंडिका सं०- 3 से संदर्भित)

1. भंडार पंजी
2. मुख्य करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी
3. बजट एवं वार्षिक लेखा
4. संपत्ति पंजी
5. अनुदान पंजी
6. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
7. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल
8. वेतन पंजी एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र
9. मकानों के कर मूल्यांकन से संबद्ध संचिका एवं कर मूल्यांकन प्रपत्र
10. वार्षिक कार्य योजना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र
11. जिला योजना समिति द्वारा बी० आर० जी० एफ० की पारित योजनाओं की सूची
12. बैठक पुस्तिका
13. अभिश्रव
14. नक्शा पंजी एवं संचिका
15. भविष्य निधि से संबद्ध प्रमाणक
16. व्यावसायिक विज्ञापन से संबद्ध संचिका
17. अनुज्ञप्ति शुल्क पंजी
18. मोबाइल टावर से संबंधित पंजी
19. दुकान किराया पंजी
20. वाहनों का लॉग बुक
21. योजना पंजी

परिशिष्ट – III
(कंडिका – 7 से संबंधित)

Statement showing the Govt. Grant received by the the office during 2008-09 to 2012-13

2008-09

SC No	Letter no. / D.D. / cheques Date	Amount	Purpose
1	2	3	4
1.	ch - 642101/11-4-08 —	4354613	BRGF
2.	D.D. - 106210/29-4-08 —	1911700	Matching grant
3.	D.D. 109548/10-4-08 —	1163927	XII F.C.
4.	D.D. - 228493/8-4-08 —	175720	MLC Fund
5.	TA-17/233/25-6-08 —	815840	Stamp duty
6.	L.N. 3776/15-7-08 —	4404000	नाला निर्माण
7	4536/29-8-08 —	133200/-	मुख्य पार्क
8	4405/27-8-08 —	1405150/	म.न. Salary
9.	3230/20-6-08 —	3175885/-	15 वित्त
10	ch 726847/15-12-08 —	10,00,000/-	जॉगिंग पाथ
11	L.N. - 12/11-2-09 —	25954000/-	मार्ग कार्य नागरिक सुविधा
12	25/21-2-09 —	7432000/-	नाला निर्माण
13.	26/21-2-09 —	1,50,000,00/-	15 वित्त निर्माण
14	13/11-2-09 —	50,00,000/-	पंपों कार्य
15	6468/10-4-08 —	250,000/-	कम्प्युटरीकरण
16	[illegible] 3025/4-7-08 —	1130636/-	Stamp duty
17.	D.M - 607/30-3-09 —	64614/-	पशु गणना
		73371281/-	

2009-10

①	②	③	④
1.	Ch-082076/15.7.09 —	4,20,000/-	कवीट अंगोपिल
2	CN-530/18-6-09 —	3561844/-	BRGF
3.	AR-352/8-10-09 —	2346140/-	stamp duty
4.	CN-129/21-10-09 —	1053864/-	salary.
5.	Ch-648644/8-1-10 —	3593000/-	BRGF
6.	CN-301/19-3-10 —	133200/-	[illegible]
7.	26/16-3-10 —	2225768/-	4th SFC.
8.	28/17-3-10 —	1076935/-	XIIth F.C
9.	111/25-3-10 —	1076935/-	-do-
10	125/21-10-09 —	2,00,00,000/-	XII FC
		~~3,548,7686~~	

2

2010-11

(1)		(2)	(3)	(4)
1.	D.O.	365561/6-4-10	1523400/-	प्रशासनिक भवन निर्माण
2	CM-	6243/3-11-10	140,000/-	City Manager allowance
3.	DM-	62/16-8-10	~~3000~~/- 328550/-	जनगणना
4.		95/17-8-10	21,00,000/-	XIII F.C
5.	Cl.	274342/10-1-11	1248000/-	BRGF
6		274768/14-1-11	2220000/-	"
7	CM	85/15-3-11	227704/-	जनगणना
8	DM	-123/1-3-11	294000/-	कबीर
9.		493/6-9-10	810000/-	"
10		166/26-3-11	6193435/-	Matching grant
11.		168/29-3-11	702576/	Salary
12		69/26-6-10	133200/-	[illegible]
			15321061/-	

2011-12

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	D.D - 704241/26-6-11	2100000/-	XIII F.C
2.	704125/26-6-11	5868/-	XIII F.C (I)
3.		2622000/-	BRGF
		294000/-	कार्य
4.	CN - 290/19-7-11	675000/-	"
5	517/3-11-11	2400000/-	XIII F.C
6.	21/4-8-11	200000/-	"
7	24/23-8-11	133200/-	कुल पाँच भत्ता
8.	44/25-1-12	3427662/-	stamp duty
9.	769/21-7-12	178200/-	Salary
10	57/12-3-12	256300/-	XIII[th] F.C
11.	58/13-3-12	436600/-	जनगणना
12	04/1-3-12	50,00,000/-	4[th] S.F.C
13.	61/19-3-12	5791143/-	"
14	62/19-3-12	4110387/-	"
15	60/19-3-12	587191/-	विद्युत विपत्र
16.		1174399/-	विकास कार्य
		1776341/-	मेला होली की पूजा सांस्कृतिक
		633553/-	नागरीय सड़क नाद
		532904/-	जलापूर्ति
		444081/-	लोक कल्याण एवं उत्सव
		307311/-	पार्किंग स्थल
		592102/-	सड़कों के लिए रोशनी
17	68/26-3-12	14520/-	Computer
		8,81,19,735	

2012-13

①	②	③	④
1.	Ch - 765326/22-11-12	210,000/-	कपोट
2.	Ch - 321438/23-3-12	1647/-	BRGF - S.C.
3.	- 329944/19-4-12	194000/-	"
4	- 330151/2-5-12	2857000/-	BRGF - Con
		457050/-	E.O का Salary
5.	LN - 11/19-6-12	4000/-	" " T.A
			XIII F.C
6.	01/4-4-12	1660000/-	"
7	29/19-7-12	2710000/-	"
8	36/31-8-12	863000/-	
9.	~~LN 446/30-8-12~~ Ch 446, 447, 448, 450, 449, 451, 418/30-8-12	257900/-	पेंशन (वृद्ध)
		50,000/-	पारिवारिक लाभ
10	Ch. 35901/11-9-12	~~[illegible]~~	
11	TA/17/517/5-9-12	486637.78/-	stamp duty
12	42/17-9-12	210,000/-	City Manger allowances
13	44/20-9-12	133200/-	[illegible]
14	418, 540, 425, 419, 423, 40, 426, 424, 420/18-8-12	654600/-	वृद्धापेंशन
		714000/-	कपोट
15	Ch - 763314/8-12-12	336000/-	"
16	767612/10-12-12	5922308/-	4th SFC
17	85/4-13-13	846032/-	विद्युत
		1672098/-	विभाग कार्य
		1759290/-	[illegible]
		627480/-	[illegible]
		439883/-	[illegible]
		586430/-	[illegible]
		50,00,000/-	आमवई

B/F - 33,082,236

①	②	③	④
18	CN - 90/7-3-13	B/F - 33082236/- 1547175/-	प्रशासनिक भवन
19	महा० निर्माण 685/28-12-12	8000/-	वृक्षारोपण
20	419, 425, 423/18-8-11	252000/-	"
21	627, 628, 629, 630, 4-12-12	344900/-	"
22	05-02/4-1-13	56700/-	"
23	03-2/4-1-13	12600/-	
24	6-2/4-1-13	15300/-	
25	07/4-1-13	21600/-	
26	201/13-3-13	15000/-	
27	108/12-2-13, 836/21-2-13	2496263/-	पथ निर्माण
28	161, 162, 157, 160, 151, 156, 152 / 5/3/13	3269500/-	वृक्षारोपण
		41121274	

256

परिशिष्ट – IV

... ... – 2008 – 09 से 2012-13 परिशिष्ट – क

[कंडिका-9 से संबंधित] 236

	Name of the officials	Receipt No.	Amount	Deposited on instance of Audit	Balance	Remarks
01	राजीव कुमार ठाकुर	6748-53	3360			
		9747-83	30581	—		
		9784-87	6235			
			40176/-		40176	'H' receipt
02.	रविशंकर रमण	101-119	19095			
		120-155	89026			
		164	4566			
		156-63	6554	—		
		165-77	72540			
			1,91,781/-		191781 –	'H' receipt
03.	मो० मुस्तफा	15-63	62665	—	62665/-	'H' receipt

Sl.No.	Name of the official.	Receipt No.	वसूली की राशि	DCR में जमा	अंतर	
04.	अरुण कुमार राउत	6614	645	—	645	
		7954	654	327	327	
		8072	516	344	172	
					1144/-	'H' receipt

Govind
लेखा०